निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :– 91/2024 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 07/08/2024
निर्णय दिनांक :– 09/06/2025

अनवान

1. चुन्नीलाल पिता हमता जाति गुवांरिया निवासी चेता आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. गेरीबाई पत्नी चुन्नीलाल जाति रावत निवासी चेता आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगु पिता भैरा जाति रेगर निवासी चेता आसन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. मगना पिता हिरा जाति रेगर निवासी सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. तुलसा पिता हिरा जाति रेगर निवासी सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. नारू पिता मोडा जाति रेगर निवासी सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

निवेदन किया गया कि ग्राम चेता आसन पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि आराजीयात स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 12 आराजी संख्या 29, 30, 32 कुल किता 03 कुल रकबा 0.8400 हैक्टेयर है उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी होकर प्रार्थीगण की खातेदारी होकर प्रार्थीगण इस पर कब्जे काश्त होकर इसका उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 वर्णित कुलिया आराजीयात पर प्रार्थीगण कि निर्बाध रूप से काश्त वगेरा करता चला आ रहा है किन्तु प्रार्थीगण की उक्त के चारों तरफ पत्थर कि पक्की बाउन्डरी सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थीगण की उक्त वर्णित सीमा से मिलते हुए पड़ौसी है। इस समय प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है जिससे फसल बुआई कटाई के समय सीमा संबंधित विवाद होता है तथा अनावश्यक प्रार्थीगणों को मुकदमे बाजी के लिये विवश होना पड़ता है। मौके पर अंशाति कायम रहती है जिससे प्रार्थीगण शांति पूर्वक काश्त उपयोग उपभोग भूमि का नही कर पा रहे है। प्रार्थीगण कि उक्त वर्णित आराजीयात की भूमि के पास अप्रार्थीगण का पड़ौस है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि से अप्रार्थीगण की भूमि मिलती है व अप्रार्थीगण प्रार्थीगण कि उक्त भूमि के पड़ोसी है विपक्षीगण प्रार्थीगण के मध्य भूमि सीमा विवाद बना रहता है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि को अपना बता कर नाजायज अतिक्रमण करने की मंशा रखते हैं इस लिए प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिससे भूमि संबंधित होने वाले विवाद समाप्त हो जाए। प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजीयात जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है कि नपती पत्थरगढ़ी हो जाती तो प्रार्थीगण को फसलों कि बुआई कटाई समय विपक्षीगण ये सीमा बाबत जो विवाद बना रहता है। यह हमेशा के लिय समाप्त हो जाएगा तथा प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काश्त वगेरा व भूमि का

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जि... राजसमन्द

उपयोग कर सकेंगे। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र कि कॉलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात भूमि की पत्थरगढ़ी करने का आदेश फरमावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया जो सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 05 के विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गयी है जिससे जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार हैः–

111. Decision of disputes as to boundaries – (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the exiting survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section, the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry the Land Records Officer shall ascertain by

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जि... राजसमन्द

summary inquiry who is the party bease entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

128. Boundary disputes – All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Records Officer in the manner laid down in Section 111.

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर कि ग्राम चेता आसन पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में वर्तमान खाता संख्या 12 आराजी संख्या 29, 30, 32 कुल किता 03 कुल रकबा 0.8400 हैक्टेयर भूमि पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकरों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे/रकबा कम/ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सुपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को लिखा जावें पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द